10/3/2021

पत्रावली अधिवक्ता प्रार्थीगण द्वारा प्रार्थना पत्र बाबत् पत्रावली तलब करने एवं प्रकरण मे बहस श्रवण कर, शीघ्र आदेश किए जाने प्रस्तुत करने पर सिगहे से तलब करने पर पेश हुई। अधिवक्ता प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्रो मे वर्णित तथ्यो को दोहराते हुए निवेदन किया कि विपक्षी संख्या 1,3,6,9 को रजिस्टर्ड ए डी से दिनांक 13/3/2020 को तामिल करा दी हैं, जिनकी पोस्टल रसीदें सम्मन की प्रति के साथ प्रस्तुत हैं, विपक्षीगण जानबूझ कर उपस्थित नही हो रहे है। विपक्षी संख्या 8 को सहवन से विपक्षी पक्षकार मुर्तिब कर दिया है, विपक्षी संख्या 8 स्वयं प्रार्थी संख्या 1 ही है। अतः विपक्षी संख्या 8 को विलोपित कर, प्रकरण मे आज ही बहस श्रवण कर आदेश पारित कराया जावें। दोनो प्रार्थना पत्र एवं विपक्षी 1,3,6,9 के नोटिस की प्रतियां संलग्न पत्रावली किए जावें। पत्रावली का

2019
003591

'X' - - - लगातार

(श्याम सुन्दर बिश्नोई)
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
चित्तौड़गढ़ (राज.)

Signature Not Verified
Digitally signed by Shyam Sundar Bishnoi
Date: 2021.03.17 18:06:36 IST
Reason: SelfAttested

अवलोकन किया गया। विपक्षी संख्या 2,4,5,7 के विरुद्ध दिनांक 25/06/2019 को एक पक्षीय कार्यवाही के आदेश हो चुके हैं। विपक्षी संख्या 1,3,6,9 की तलबी हेतु तारीख पेशी 16/5/2020 के नोटिस रजिस्टर्ड डाक से प्रेषित किए गए जिनकी एडी अथवा अदम नोटिस प्राप्त नही होना एवं विपक्षी संख्या 1,3,6,9 के तारीख पेशी 16/5/2020 या उसके पश्चात नियत तारीखों को उपस्थित नही होना तथा विपक्षी संख्या 8 एवं प्रार्थी संख्या 1 एक ही व्यक्ति होना पत्रावली के अवलोकन से प्रकट है। अतः प्रार्थीगण का प्रा० पत्र स्वीकार किया जाकर विपक्षी संख्या 8 का नाम तर्क किए जाने एवं विपक्षी संख्या 1,3,6,9 के विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही के आदेश दिए जाते हैं। बहस प्रकरण अधिवक्ता प्रार्थीगण सुनी गयी।

हमने पत्रावली का अवलोकन कर बहस अधिवक्ता प्रार्थीगण पर गहनता से मनन किया। नकल जमाबन्दी
2019
03598
सम्वत 2070-2073 अनुसार ग्राम रघुनाथपुरा प०ह० चिकली तहसील चित्तौड़गढ़ की आराजी नम्बर 264 रकबा 0.05 हे०, 265 रकबा 0.75 हे० कीता 2 रकबा 0.80 हे० प्रार्थीगण की खातेदारी हक से दर्ज रेकार्ड है। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 LR Act स्वीकार किया जाकर प्रार्थीगण की ग्राम रघुनाथपुरा प०ह० चिकली स्थित आराजी नम्बर 264, 265 कीता 2 रकबा 0.80 हे० भूमि की बिना किसी के कब्जे मे दखलन्दाजी किए सेटलमेन्ट नक्शे अनुसार पत्थरगढ़ी किए जाने के आदेश दिए जाते हैं। पत्थरगढ़ी शुल्क 1000.00 रुपए अक्षरे एक हजार रुपए प्रार्थीगण वहन करेंगे। पालनार्थ तहसीलदार चित्तौड़गढ़ को लिखा जावे कि पक्षकारान को लिखित सूचना देकर नियमानुसार पत्थरगढ़ी की जावे एवं पालना रिपोर्ट न्यायालय मे मे प्रस्तुत करें। निर्णय लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

Signature Not Verified
Digitally signed by Shyam Sundar Bishnoi
Date: 2021.03.17 18:06:36 IST
Reason: SelfAttested

(श्याम सुन्दर बिश्नोई)
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
चित्तौड़गढ़ (राज.)